।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 08.11.2023 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 08.11.2023 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
   महानिरीक्षक कारागार
   राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
   शासन उप सचिव,
   गृह (ग्रुप-12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
3. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
   उप निदेशक
   सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में निम्न 05 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
रामा पुत्र देवा	के.का. उदयपुर	1507/2023	04.10.2023	25.10.2023
देवा उर्फ देवीलाल पुत्र गोपाल	के.का. उदयपुर	1508/2023	04.10.2023	25.10.2023
हकमा पुत्र देवा	के.का. उदयपुर	1524/2023	03.10.2023	25.10.2023
तुलसीराम मीणा पुत्र नारायण मीणा	के.का. उदयपुर	1528/2023	04.10.2023	25.10.2023
प्रभूलाल मीणा पुत्र भाना मीणा	के.का. उदयपुर	1525/2023	20.10.2023	30.10.2023

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. तुलसीराम मीणा पुत्र नारायण मीणा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, प्रतापगढ द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 अंतर्गत धारा 341, 323/34, 302, 460 आई.पी.सी. में दिनांक 05.01.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 08 वर्ष 01 माह 27 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1528/2023 दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 04.10.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

दिनांक 27.09.2015 को रात्रि करीब 10 बजे वेणीराम व उसका भाई नन्दा खाना खाकर खेत पर रखवाली करने के लिए जाने हेतु घर से बाहर निकले ही थे कि घर के बाहर प्रभुलाल पिता भाणा मीणा, तुलसीराम पिता नारायण मीणा व राजु पिता भाणा मीणा हमसलाह होकर घर पर आये व दिन में फसल में गाय घुसने की बात को लेकर लट्ठ से उनके साथ मारपीट की। फिर उसके घर में प्रवेश कर प्रभुलाल व तुलसीराम ने उसके पिता मेधाजी पर लट्ठ से ताबडतौड हमला कर उसके पिता को घायल कर दिया जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई।

बन्दी का उक्त कृत्य आपराधिक प्रवृति का न होकर आपसी रंजिश के कारण आवेश में किया गया अपराध है।

अत: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी तुलसीराम मीणा पुत्र नारायण मीणा** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. प्रभूलाल मीणा पुत्र भाना मीणा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, प्रतापगढ द्वारा प्रकरण संख्या 17/2016 अंतर्गत धारा 341, 323/34, 302, 460 आई.पी.सी. में दिनांक 05.01.2021 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक

30.06.2023 तक 09 वर्ष 03 माह 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 460 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में 10 वर्ष साधारण कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

बंदी द्वारा खुला बंदी शिविर में भेजे जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1525/2023 दायर की, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 20.10.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय गाजूराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

दिनांक 27.09.2015 को रात्रि करीब 10 बजे वेणीराम व उसका भाई नन्दा खाना खाकर खेत पर रखवाली करने के लिए जाने हेतु घर से बाहर निकले ही थे कि घर के बाहर प्रभुलाल पिता भाणा मीणा, तुलसीराम पिता नारायण मीणा व राजु पिता भाणा मीणा हमसलाह होकर घर पर आये व दिन में फसल में गाय घुसने की बात को लेकर लट्ठ से उनके साथ मारपीट की। फिर उसके घर में प्रवेश कर प्रभुलाल व तुलसीराम ने उसके पिता मेधाजी पर लट्ठ से ताबडतौड हमला कर उसके पिता को घायल कर दिया जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई।

बन्दी का उक्त कृत्य आपराधिक प्रवृति का न होकर आपसी रंजिश के कारण आवेश में किया गया अपराध है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लेखित गाजूराम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये निर्देशों एवं उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी प्रभूलाल मीणा पुत्र भाना मीणा** को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. रामा पुत्र देवा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 56/2014 अंतर्गत धारा 302, 394, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 04.03.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 11 वर्ष 01 माह 26 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1507/2023 में दिनांक 04.10.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2017 में बन्दी को दोषसिद्ध मानते हुये अंकित किया है कि अभियुक्त द्वारा 72-75 वर्षीय वृद्धा मृतका प्रतापीबाई उर्फ पत्तुबाई को खेत जैसी सुनसान जगह पर उसकी चांदी की कडियें एवं सोने के मादलिये लूटने के आशय से दांतली एवं छुरी से उसके गले पर धारदार हथियार से घोर उपहति कारित कर एवं उसके टखनों के नीचे से दोनों पांव को पूरी तरह से काट कर अलग कर उसके गले से पहने हुये सोने के मादलिये एवं पांव में पहनी हुयी चांदी की कडियों को लूटकर ले जाने के आशय से नृशंस एवं क्रुरतापूर्ण तरीके से हत्या की गयी है।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रुर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समाज हेतु खतरा बन सकने वाले तत्वों को खुला शिविर में भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: बन्दी द्वारा उक्त अमानवीय कृत्य किये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी रामा पुत्र देवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. देवा उर्फ देवीलाल पुत्र गोपा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 56/2014 अंतर्गत धारा 302, 394, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 04.03.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 11 वर्ष 01 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1508/2023 में दिनांक 04.10.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2017 में बन्दी को दोषसिद्ध मानते हुये अंकित किया है कि अभियुक्त द्वारा 72-75 वर्षीय वृद्धा मृतका प्रतापीबाई उर्फ पत्तुबाई को खेत जैसी सुनसान जगह पर उसकी चांदी की कडियें एवं सोने के मादलिये लूटने के आशय से दांतली एवं छुरी से उसके गले पर धारदार हथियार से घोर उपहति कारित कर एवं उसके टखनों के नीचे से दोनों पांव को पूरी तरह से काट कर अलग कर उसके गले से पहने हुये सोने के मादलिये एवं पांव में पहनी हुयी चांदी की कडियों को लूटकर ले जाने के आशय से नृशंस एवं क्रुरतापूर्ण तरीके से हत्या की गयी है।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रुर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समाज हेतु खतरा बन सकने वाले तत्वों को खुला शिविर में भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: बन्दी द्वारा उक्त अमानवीय कृत्य किये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी देवा उर्फ देवीलाल पुत्र गोपा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. हकमा पुत्र देवा, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर :-

बंदी को अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 56/2014 अंतर्गत धारा 302, 394, 397 आई.पी.सी. में दिनांक 04.03.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 30.06.2023 तक 11 वर्ष 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.07.2023 को आयोजित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक में बंदी के प्रकरण पर विचार कर बंदी के अंतर्गत धारा 394 आई.पी.सी. (प्रतिबंधित धारा) में आजीवन कारावास से दण्डित किये जाने से बन्दी को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 1524/2023 में दिनांक 03.10.2023 को निर्णय पारित कर माननीय न्यायालय के पूर्व निर्णय परवेज शाह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य को ध्यान में रखते हुए 04 सप्ताह की अवधि में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया है।

अपर सैशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने अपने निर्णय दिनांक 04.03.2017 में बन्दी को दोषसिद्ध मानते हुये अंकित किया है कि अभियुक्त द्वारा 72-75 वर्षीय वृद्धा मृतका प्रतापीबाई उर्फ पत्तुबाई को खेत जैसी सुनसान जगह पर उसकी चांदी की कडियें एवं सोने के मादलिये लूटने के आशय से दांतली एवं छुरी से उसके गले पर धारदार हथियार से घोर उपहति कारित कर एवं उसके टखनों के नीचे से दोनों पांव को पूरी तरह से काट कर अलग कर उसके गले से पहने हुये सोने के मादलिये एवं पांव में पहनी

हुयी चांदी की कडियों को लूटकर ले जाने के आशय से नृशंस एवं क्रुरतापूर्ण तरीके से हत्या की गयी है।

बन्दी द्वारा सदोष लाभ हेतु घृणित एवं क्रुर अपराध किया गया है, जो उसकी गंभीर आपराधिक मानसिकता का परिचायक है। बंदी को खुला शिविर में भिजवाये जाने से उसके द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। समाज हेतु खतरा बन सकने वाले तत्वों को खुला शिविर में भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः बन्दी द्वारा उक्त अमानवीय कृत्य किये जाने के तथ्यों को ध्यान में रखते हुये समिति द्वारा सर्वसम्मति से **दण्डित बंदी हकमा पुत्र देवा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य सचिव** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।